

FORM NO. III

फर्दअहकाम





(नियम- 26)

अदालतसहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), गुड़ामालानी

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. भवराराम पुत्र गुलाराम जाति भगवाल निवासी बाण्ड तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		1. गुलाराम पुत्र कानाराम वगैरा (46) निवासी बाण्ड तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 47. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी 48. तहसीलदार गुड़ामालानी

किस्म मुकदमा.....धारा 88, 188 RTA

मु0नं0.....90../21

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मेंजारी हुए
22.09.2021	<p>वादी भवराराम की ओर से यह वाद पत्र वकील श्री रामजीवन विशनोई द्वारा प्रतिवादीगण गुलाराम वगैरा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88, 188 RTA का पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील वादी, प्रतिवादीगण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित करें। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 23.11.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी </p>	
23/11/21	<p>पत्रावली काउ पेश करने के लिए कलक्टर के पास वाद पत्र है। पत्रावली के मध्य शहीदगण वकील वादी की प्रतिवादीगण के सम्मन रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजने का कर्मिस करार दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 20/01/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी </p>	
28/1/22	<p>पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त हैं। अतः इत्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 14/3/22 को पेश हो।</p>	
14/03/22	<p>पत्रावली काउ पेश हुई। वकील वादी उपर वकील वादी प्रतिवादीगण के सम्मन रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजने का एक कौर करार चाहे है। कर्मिस करार दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 29/04/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर SDO (गुड़ामालानी) </p>	
29/4/22	<p>पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त हैं। अतः इत्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 9/5/22 को पेश हो।</p>	<p>उत्तरावली 16 की को</p> <p>29/4/22</p> 

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी
मुकाम-गुड़ामालानी

यक 9
मुक

जीसीएमएस संख्या	बनाम	किस्म मुकदमा
तारीख हुकम	हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज	
28/07/25	पत्रावली आम पेश हुई वकील उभय पक्ष कारण उपर वादी वकील ने पार्थक पत्र आदेश 22 नियम 4 सपडिन द्वारा IS/CPC का पेश किया प्रतिवादी वकील ने कोपी प्राप्त की। पत्रावली का सार्य जारी वकील हर्म जकार कहत पार्थक फा 022 R-4 IS/ CPC प्रतिवादी वकील दिनांक 14/08/25 को पेश है।	
14/08/25	पत्रावली आम पेश हुई। वकील वादी अनुं। वादी स्वयं अनुं। वादी को मय अधिवक्ता कोर्ट समय में तीन कार तीन आवजे दिलाई गई। बकबूद आवाजे दिलाने के वादी व वादी के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहते ले उक्त अवगत उबरण वादी वकील की अदम हाजिरी अदम पेशी के खारिज किया जाता है साथ ही न्यायालय हाजा द्वारा जारी अथवाई अंतरिम निदेशाल दिनांक 22/09/2024 को खारिज किया जाता है पत्रावली फलन सुनार होउर दारवल वाक्तर ले।	

जज जीसी
अहकाम
की तारीख
हुए/पार्थक
हक

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) गुड़ामालानी

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी
मुकाम-गुड़ामालानी